नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है : भूपेंद्र यादव

अलवर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और हर नागरिक के सपनों को पूरा करता है। यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ाएगा। उन्होंने इस 'लोगों के बजट' यानि 'पीपल्स बजट' के लिए प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण एवं उनकी टीम को बधाई दी।

गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पीएनबी एमएसएमई एक्सपो 2025 में शिरकत कर पीएनबी बैंक द्वारा लगाई गई वित्तीय सेवाओं संबंधित, एफपीओ, जिला उद्योग केंद्र एवं पीएनबी आरसेटी की स्टॉल्स का अवलोकन किया एवं पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पीएनबी एमएसएमई एक्सपो के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि आमतौर पर बजट का ध्यान सरकार के खजाने को भरने पर होता है। लेकिन इस बजट में नागरिकों की जेब भरने, उनकी बचत बढ़ाने और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बजट में सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के ऐतिहासिक फैसले पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में असैन्य परमाणु ऊर्जा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने बताया कि बजट में सभी रोजगार क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले दो बडे सुधारों का उल्लेख करते हुए यादव ने कहा कि जहाज निर्माण को अवसंरचना का दर्जा देने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान में तेजी आएगी।

अवसंरचना की श्रेणी में 50 पर्यटन स्थलों पर होटलों को शामिल करने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आतिथ्य क्षेत्र, जो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने अलवर में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत बैंक को अलवर में पर्यटन क्षेत्रा को बढावा देने के लिए कोर क्षेत्रा के रूप में फाइनेंसिंग की विशेष सुविधा देने पर जोर दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि ज्ञान भारतम मिशन के शुभारंभ के माध्यम से एक करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय ज्ञान परंपराओं से प्रेरित एक राष्ट्रीय डिजिटल भण्डार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाएं कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति की नींव रखेंगी।

नगर परिषद की बोर्ड बैठक में पार्षद आमने-सामने तीखी नोक झोंक के बीच बजट पारित

तिजारा। नगर परिषद सभापति झब्बू राम सैनी की अध्यक्षता में बोर्ड की बजट बैठक हुई। बैठक में विकास के मुद्दे पर बजट को लेकर हो रही चर्चा के दौरान पार्षद कालूराम और सुल्तान सिंह के बीच तीखी आमने-सामने की नोंक-झोंक के बीच सभापति सैनी और आयुक्त मनीष यादव की उपस्थिति में सदन ने सर्वसम्मति से विकास के लिए 33 करोड़ 88 लाख का बजट पारित किया गया।

नगर परिषद सभापति झब्बू राम सैनी की अध्यक्षता व आयुक्त मनीष यादव की उपस्थिति में आयोजित बैठक में दो पार्षदों के बीच तीखी नोंकझोंक के बाद वर्ष2025-26का 33.88 करोड़ रुपये का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में विकास पर हो रही चर्चा के दौरान पार्षद कालूराम और सुल्तान पालीवाल के बीच तीखी नोंकझोंक हुई इस बीच सभापति ने पार्षदों को समझाइश की ओर मामले को शांत कराया।

बैठक में पार्षद रामेश्वर सैनी ने नगर परिषद की आय स्त्रोत बढ़ाने को लेकर पट्टा देने के लिए मांग की। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक प्रक्रिया कार्यालय में पड़ी रहती है। पार्षद कालू राम ने सेफ्टी टैंक खरीदने को लेकर एवं शमशान घाट कब्रिस्तान पर निर्माण कार्य कराने की बात रखी। पार्षद शारदा सैनी ने कहा कि रोड लाइट, सफाई व्यवस्था कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ठीक नहीं है।

50 लाख की लागत का म्यूजिक फाउंटेन एक वर्ष से है बंद

देवली । 3 वर्ष पहले नगर पालिका प्रशासन ने शहर के अटल उद्यान में जिस म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण कार्य 50 लाख रुपए की लागत पर करवाया था। वही संगीत मय म्यूजिकल फाउंटेन 1 वर्ष से बंद पड़ा होकर आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।

50 लाख रुपए की लागत जैसे बड़े खर्च पर 3 वर्ष पहले मात्र 15 सौ स्क्वायर फीट की भूमि पर पालिका ने इसी म्यूजिकल फाउंटेन यानी के संगीत मय फुव्वारा अटल उद्यान में लगवाया गया है। ऐसे में अगर इसी कार्य को किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा करवाया जाता तो शायद इस कार्य पर अधिक से अधिक 10 से 15 लाख रुपए तक का खर्च हो पाता। यह मानना कार्य से संबंधित कई ठेकेदारों का है। लेकिन यहां सरकारी धन को चुना लगाने की नीयत से या यह कहे कि भ्रष्टाचार की योजना पर उक्त म्यूजिकल फाउंटेन (संगीत मय फुव्वारा) के निर्माण हेतु पालिका ने 7 दिसंबर 2021 को 49 लाख 67 हजार रुपया खर्च करने की योजना बनाई गई थी। इतने बड़े बजट के खर्चे पर उक्त दौरान पालिका प्रशासन ने म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण करवा दिया था जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।

म्यूजिकल फाउंटेन को चलाने लिए लगभग प्रतिवर्ष 7 से 8 रुपए का पानी अलग से खरीद करके इसके वॉटर टैंक में डलवाया जाता रहा है। यह जानकारी भी जरिए ई निविदा दस्तावेजों से प्राप्त हुई है। ऐसे हालातो पर बने इस मामले में यह कहना भी मुश्किल नहीं होगा कि 50 लाख रुपए जैसे बड़े खर्चे पर पालिका के अधिकारियों ने घटिया किस्म का म्यूजिकल फाउंटेन लगाकर कहीं ना कहीं उक्त दौरान सरकारी धन को चूना लगाने की योजना बनाई है। शायद इसी कारण से 50 लाख की लागत पर स्थापित किया हुआ म्यूजिक फाउंटेन आज 1 वर्ष से बंद पड़ा हुआ है।

ऑनलाईन ठगी के मामलें में आरोपी महिला को किया गिरफ्तार

जयपुर। ग्रामीण जिले की थाना चंदवाजी पुलिस ने 12 लाख की ऑनलाइन ठगी के मामले में 3 साल से फरार चल रही मुख्य आरोपी थोकला लक्ष्मी पत्नी थोकला बुंदा कुमार, उम्र 40 वर्ष, निवासी 1-37 चिगुरावाड़ा दक्षिण पुलिस स्टेशन एमआर पल्ली तिरुपति राज्य आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गिरोह के चार सदस्यों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। साईबर ठगी की मुख्य आरोपी थोकला लक्ष्मी को तिरूपति आन्ध्रप्रदेश से गिरफ्तार किया गया है।

डीआईजी शर्मा ने बताया कि 2 नवंबर 2021 को राजीव ने रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि टेलीग्राम पर मंदीश खान नाम के व्यक्ति ने राशि डबल होने का झांसा देकर तीन बैंक खातों में 12 लाख रूपये जमा करवा लिये। इस मामले में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। पूर्व में पुलिस टीम द्वारा आन्ध्रप्रदेश में लगातार कैम्प कर विशेष साईबर तकनीकी से अभियुक्तों के ठिकानों की पहचान कर गिरोह के सदस्य ए. अरुण कुमार रेड्डी, अब्दुल गनी निवासी तिरुपति आन्ध्रप्रदेश तथा गोपाल सिंह चुडावत व मोहम्मद जाहिद खान निवासी चितौडगढ़ को गिरफ्तार किया था।

परिवादी से अब्दुल गनी नाम के व्यक्ति के बैंक खातें में चार लाख रूपये व दो अन्य खातों में आठ लाख रूपये जमा करवाये गये थे। अभियुक्तों के द्वारा ठगी की राशि से क्रिप्टो करेंसी का व्यापार किया जाता है। मामले में मुख्य आरोपिया थोकला लक्ष्मी घटना के बाद से ही फरार चल रही थी। जिसको आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

शब ए बारात का पर्व मनाया

देवली । शहर मैं मुस्लिम समाज की ओर से शब ए बारात का पर्व गुरुवार को यहां मनाया गया। अपने पूर्वजों ब्रह्मलीन आत्माओं के लिए दुआ ए मगफिरत की गई इसी के साथ मस्जिदों दरगाहों पर रोशनी की गई।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 18/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री नरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री रामदास जोशी निवासी18,गोकुलेश नगर,निवारू जयपुर-302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री हरि चेरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता 17, गोकुलेश नगर निवारू जयपुर 302012 ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 9.4.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 28/2025
चूंकि श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री जयदेव शर्मा निवासी मकान नं. 256, सेक्टर 8, मालवीय नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत शहीद अमित भारद्वाज मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता-मकान नं. 256, सेक्टर 8, मालवीय नगर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 16.04.2025 रतनलाल योगी
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं निहाल सिंह पुत्र स्व. श्री हीराराम, निवासी प्लाट नं. 16, जगदम्बा विहार, श्याम डूंगरी, कुंडा, आमेर, जिला जयपुर, का रहने वाला हूं जो कि मेरे द्वारा अर्जित सम्पत्ति प्लाट नं. प्लाट नं. 16, जगदम्बा विहार, श्याम डूंगरी, कुंडा, आमेर, जिला जयपुर एवं भूखण्ड संख्या 69, रिंग ऐवेन्यू, मनोहरिया वाला के पास, सांगानेर जयपुर, साथ ही मेरे द्वारा अर्जित भूखण्ड संख्या 75- बी रोहिणी एन्क्लेव, फेज-4, रेनवाल के पास स्थित है। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों से मैं मेरे पुत्र मनीष कुमार को बेदखल करता हूं। मेरे पुत्र मनीष कुमार का मेरी चल अचल सम्पत्ति से कोई वास्ता नहीं होगा। मनीष कुमार से कोई भी लेन देन ना करें अगर कोई करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। भवदीय
निहाल सिंह पुत्र स्व. श्री हीराराम, निवासी प्लाट नं. 16, जगदम्बा विहार, श्याम डूंगरी, कुंडा, आमेर, जिला जयपुर,

---

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)
क्रमांक-एफ13()उपा.लैण्ड/ननिज/2025/2387
सार्वजनिक सूचना दिनांक-7.02.2025
मूल भूखण्ड सं. डी-14 अनाज मण्डी, चांदपोल बाहर, जयपुर का पट्टा श्री देवाराम पुत्र श्री भैरूमल को दिनांक 10.09.1973 को 50.67 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्री नरेश कुमार रोहरा पुत्र श्री देवाराम रोहरा ने एक मात्र वारिस होने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन पस्तुत कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरणरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर हैरिटेज

खोया पाया

मेरे मकान नंबर 61/45 प्रताप नगर, सांगानेर का ओरिजनल अलाटमेंट लेटर नम्बर 1968 दिनांक 17.03.1992 कहीं खो गया मिलने पर सूचित करें रतन कुमार रूंगटा-9829452950

मेरा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के द्वारा जारी फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नाम अनिल कुमार संख्या 5900 जारी दिनांक 15.04.1981 कहीं खो गया है जो इस समय किसी ड्रग लाइसेंस पर अंकित नहीं है मिलने पर पहुंचाए अनिल कुमार बी-466 मालवीय नगर, जयपुर

मेरे मकान सं. 50/73 प्रताप नगर जयपुर का Original No-dues Letter, Original Office Order कहीं गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें-Sukesh Jain-9928389215

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्लाट नं. 127 बलाई बस्ती, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर जयपुर अनवार अहमद नकवी पुत्र श्री मुनव्वर अली नकवी ने श्री अब्दूल सत्तार एवं मोहम्मद इलियास शेख पुत्रान स्व. मोहम्मद हुसैन से खरीद का इकरार करके अग्रिम राशी भी अदा कर दी है। अन्य कोई नहीं खरीदे ना खरीद कर इकरार करें। किसी को आपत्ती हो तो सूचित करें।
जयपुर (फैजान हुसैन) एडवोकेट
दिनांक-10.02.2025 मो.नं. 8824515124

न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि. महोदय राजगढ (अलवर)
हिमाशू गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता जाति महाजन आयु 28 वर्ष निवासी कस्बा राजगढ सराय मौहल्ला तहसील राजगढ जिला अलवर राज. व अन्य
...वादीगण
बनाम
हरिओम पुत्र रमेश चन्द जाति महाजन आयु करीब 52 वर्ष निवासीयान कस्बा राजगढ सराय मौहल्ला तहसील राजगढ जिला अलवर राज. व अन्य
...प्रतिवादीगण
प्रतिनिधियात्मक वाद पत्र बाबत जारी किये जाने आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा
उपरोक्त वादीगण ने प्रतिवादीगण विरूद्ध प्रतिनिधियात्मक वाद पत्र बाबत जारी किये जाने आदेशात्मक स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादीगण ने सार्वजनिक मंदिर शिवालय, सार्वजनिक कुआ व खेल वाके सराय मौहल्ला राजगढ जो सार्वजनिक उपयोग की सम्पत्ति है के मार्क ए.बी.सी.डी. बरंग सुर्ख भाग पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण कर लिया है उस अवैध दुकान को तुड़वाई जाकर जायदाद खाली कराई जावें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो रंग सुर्ख जायदाद के सार्वजनिक उपयोग में लेने में वादीगण व सराय मौहल्ला के वासिन्दमान के साथ किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत नहीं करें। वादीगण ने उक्त वाद स्वयंकी ओर से एवं सराय मौहल्ला राजगढ के वासिन्दगान की ओर से प्रतिनिधियात्मक वाद पत्र आर्डर 1 रूल 8 जा.दी. के तहत स्वीकृति से पेश किया है।
अत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण की श्रेणी मे जोडे जाने हेतु रूची रखता है वह इस न्यायालय मे दिनांक 17.02.2025 को उपस्थित होकर पेश करें।
आज दिनांक 13.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी किया गया।
न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं
मोहर न्यायिक मजि. राजगढ जिला अलवर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, चाकसू, जिला-जयपुर ग्रामीण (राज.)
क्रमांक/न.पा.चा./2024-25/4949 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक 12.02.2025
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस नगर पालिका क्षेत्र में स्थित विभिन्न भूखण्डों की निम्नानुसार पत्रावली / प्रार्थना पत्र मय साईट प्लान राजस्थान नगरीय क्षेत्र कृषि भूमि के अकृषि उपयोग के अनुज्ञा एवं आवंटन नियम 2012 के तहत् निस्तारण हेतु विचाराधीन है

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	एरिया	विषय
1.	गोदावरी शर्मा	रामूलाल शर्मा	प्लाट नंबर 50 layout Plan अनुसार पलॉट नंबर 49 इच्छेश्वर कॉलोनी, वार्ड नं. 32, चाकसू इकरारनामा के आधार पर	100.00 वर्गगज	नियमन

उक्त भूमि के नियमन के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति है तो वह आपत्ति को लिखित में इस सूचना प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के अंदर-2 इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति अंगीकार नहीं की जावेगी एवं तदानुसार प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। उक्त सूचना आज दिनांक.... को मेरे हस्ताक्षर एवं सील मुहर द्वारा प्रसारित किया गया। **अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चाकसू**

कार्यालय प्रधानाचार्य महात्मा गांधी रा.वि.आलेडी, शाहपुरा (जयपुर)
क्रमांक-583 दिनांक-13.02.2025
नीलामी सूचना
विद्यालय के नाकारा/अनुपयोगी सामान जिसका पुस्तक मूल्य 101513/- है को जहां है जेसा है के आधार पर दिनांक 28.02.2025 को दोपहर पूर्व 11.00 बजे विद्यालय प्रागण में खुली बोली द्वारा नीलाम किया जायेगा, अत सभी इच्छुक व्यक्ति/कबाडी/फर्म जो इस नीलामी प्रक्रिया में शामिल होना चाहे निश्चित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर नियमानुसार 2 पति. अमानता राशि जमा करवाकर नीलामी भाग ले सकते है।
प्रींसिपल
महात्मा गांधी गोरमेंट विद्यालय
(अंग्रेजी माध्यम)
आलेडी (शाहपुरा) जयपुर-राज.

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रैणी" खैरथल
Email: kums.khairth@rajasthan.gov.in T.P. No. 01460-222112
क्रमांक :- 1710-1728 दिनांक :- 13.02.2025
विज्ञप्ति
कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के मुख्य मण्डी प्रांगण में चिन्हित व रिक्त 30 भूखण्डों का आवंटन कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल से प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग/"क"वर्ग दलाल व संयुक्त व्यापारी वर्ग (सामान्य/एस.सी./एस.टी.) व राज्य की किसी भी अन्य मण्डियों के अनुज्ञापत्रधारी एवं कृषक वर्ग (सामान्य/एस.सी./एस.टी., विधवा महिला कृषक), निःशक्तजन, अनुज्ञापत्रधारी तेल मिलों व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाईयों, पंजीकृत कृषक उत्पादन संगठन/कम्पनी को अचल सम्पत्ति आवंटन नीति, 2005 के प्रावधानान्तर्गत एवं समय-समय पर जारी संशोधनों के अनुरूप बिन्दु संख्या 7 के अन्तर्गत द्वितीय एवं पाश्चातवर्ती चरणों में 99 वर्षीय लीज पद्धति पर निर्धारित प्रावधानों/शर्तों पर आवंटन किया जावेगा। रिक्त व आरक्षित भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार है :-

अनुज्ञापत्रधारी हेतु भूखण्ड-21			कृषक वर्ग हेतु भूखण्ड-06				निःशक्तजन सामान्य वर्ग हेतु भूखण्ड-01	अनुज्ञापत्रधारी तेल मिलों व अन्य कृषि जिन्स प्रसंस्करण ईकाई हेतु भूखण्ड-01	पंजीकृत कृषक उत्पादन संगठन/कम्पनी हेतु भूखण्ड-01
सामान्य-14	एस.सी.-04	एस.टी.-03	सामान्य-4	एस.सी.-1	एस.टी.-1	विधवा महिला कृषक-0			
A-41, A -43, A-46, A -47, A-50, A -51, A-52, A -54, BB-2, BB -6, BB-14, BB-15, BB-16, BB-17	A-44, A-45, BB-8, BB-7	BB-18, A-49, BB-3	BB-5, BB-11 A-48, BB-9	A-42	BB-13	0	BB-4	BB-10	A-53

अतः उपरोक्त रिक्त एवं आरक्षित भूखण्डों हेतु इच्छुक आवेदनकर्ता, आवेदन पत्र कृषि उपज मण्डी समिति, खैरथल के कार्यालय से कार्यालय समय में 200/-रू. आवेदन फार्म शुल्क व इस पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. राशि जमा कराकर दिनांक 17.02.2025 से 03.03.2025 को सायं 4.00 बजे तक प्राप्त कर आवेदन फार्म पूर्ण वांछित दस्तावेजों के साथ धरोहर राशि 15,000/-रूपयें सहित दिनांक 05.03.2025 को सायं 4.00 बजे तक मण्डी समिति कार्यालय, खैरथल में जमा करा सकते है। निर्धारित शर्ते मुख्य मण्डी कार्यालय में देखी/ज्ञात की जा सकती है।
सचिव — कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी" खैरथल
प्रशासक — कृषि उपज मण्डी समिति "विशिष्ट श्रेणी" खैरथल
राज.संवाद/सी/24/11666

नगर निगम जयपुर, हैरिटेज
(पुराना पुलिस मुख्यालय,हवामहल के पास)
क्रमांक-एफ13()उपा.लैण्ड/ननिज/2025/2386
सार्वजनिक सूचना दिनांक-7.02.2025
मूल भूखण्ड सं. डी-15 अनाज मण्डी, चांदपोल बाजार, जयपुर का पट्टा श्री देवाराम पुत्र श्री भैरूमल को दिनांक10.09.1973 को 50.67 व.ग. का पट्टा जारी किया गया था। श्री नरेश कुमार रोहरा पुत्र श्री देवाराम रोहरा ने एकमात्र वारिस होने का शपथ पत्र प्रस्तुत कर एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन पस्तुत कर नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस मे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त लैण्ड शाखा) मे प्रस्तुत करे, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरणरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त (लैण्ड) नगर निगम जयपुर हैरिटज

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6444 दिनांक-11.02.2025
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 102/16 (MIG-A), (एरिया 90.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन हुलाशचन्द अग्रवाल पुत्र स्व. चैनसुख अग्रवाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 3106 दिनांक 05.03.2001 को जारी किया गया। श्री हुलाशचन्द अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 08.04.2010 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री हुलाशचन्द अग्रवाल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 08.09.2010 के द्वारा श्रीमती वरदा जैन पत्नी श्री पुष्पेन्द्र सिंह को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-अष्ठम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती वरदा जैन द्वारा उक्त आवास को दिनांक 18.05.2011 के द्वारा श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सीताराम शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 51/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री विष्णु कुमार चौधरी पुत्र श्री राम रतन चौधरी निवासी 262, बावडी की ढाणी, पीपला, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत मंदिर श्री नृसिंह जी महाराज सेवा ट्रस्ट कार्यालय पता ग्राम पीपला, तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध मे जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 24.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 50/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि डॉ. अनुपमा सोनी पत्नी श्री सुनील सोनी निवासी डी-145 पॉवर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत स्प्रेड स्माइल फाउन्डेशन (Spread Smile Foundation) कार्यालय पता-प्लाट नम्बर डी-145 पॉवर हाउस के पास, वैशाली नगर, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 24.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)
व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 44/2024
विषय- उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थीगण-प्रार्थी 1. श्री चेतन्य प्रकाश गप्ता पुत्र स्व. श्री डी.एन. गुप्ता 2. दीप्तांशु गुप्ता, 3. हिमांशु गुप्ता पुत्रान श्री चेतन्य प्रकाश गुप्ता समस्त जाति महाजन समक्ष विवाद स्थान 18, पुरूषार्थ नगर-बी, जगतपुरा जयपुर (राज.)
मृतक सुंधाशु गुप्ता पुत्र श्री चेतन्य प्रकाश गुप्ता की सम्पत्ति के विषय मे।
पेशी दिनांक- 21.02.2025
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम सुधांशु गुप्ता पुत्र श्री चेतन्य प्रकाश गुप्ता जाति महाजन निवासी 18, पुरूषार्थ नगर-बी, जगतपुरा जयपुर (राज.) का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावें। अतः उक्त प्रार्थना-पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 21 माह 02 सन् 2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 12 माह 02 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से-शरिस्तेदार
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय
मोहर अदालत — संख्या-10 जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

सम्मन बनाम कायम, मुकाम
आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दीवानी
अज अदालत किराया अधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय
सुनीता देवी गोधा बनाम मुन्नादेवी
दावा बाबत इखलाय
मुकदमा सं. 855/2015
बनाम-1/1 ललित कुमार गोधा, 1/2 विजयकुमार गोथा पुत्रान चम्पालाल जीगोथी, नि. 581 गौथा काचौकहल्दियो का रास्ता, तीसरा चौराहा, जौहरी बाजार, जयपुर, 1/3 अजय कुमार गोथा पुत्र चम्पालाल जी नि. 29 विरासत पैराडाइज, रघु विहार गायत्री नगर, पुलिया के नीचे दुर्गापुरा जयपुर, 1/4, प्रमोद कुमार गोथा पुत्र चम्पालाल जी नि. 61 गायत्री नगर-बी महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर
चूंकि वादी ने इस अदालत में तारीख...माह... सन... को 1. सुनीता देवी बनाम 2. मुन्ना देवी दायर की जो कि बाद में फौत हो गया और चूंकि वादी मजकूर के दरख्वास्त अदालत हाजा में यह जाहिर करने की आप मुतवफ्फी प्रतिवादी मजकूर के कायम मुकाम जायज हो और इस्तदुआ की है, बजाय उसके आप 3. कायममुकाम बनाये जावे। लिहाजा बजरिये हाजा बगर्ज जवाबदेही...आपको तारीख 15.02.2025 को अदालत हाजा में हाजिर होने के लिये तलब किया जाता है और तारीख मुर्करर पर आपके हाजिर ना होने पर मुकद्मा आपकी गैर हाजिरी में सुना व फैसला किया जावेगा।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.02.2025 को जारी किया गया।
आज्ञा से-रीडर
मोहर अदालत — किराया अधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 44/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री रामबाबू अग्रवाल पुत्र श्री बृजमोहन सर्राफ निवासी 690 गोयल भवन, पानी का दरीबा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) केअन्तर्गत श्री बृजमोहन सर्राफ चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता 690 गोयल भवन, पानो का दरीबा, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 23.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 40/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री परमेश्वर खण्डेलवाल पुत्र श्री मोहन लाल निवासी-66-67 शंकर कॉलोनी, मयूर स्कूल के पास, नयाखेडा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री सीताराम सेवार्थ संस्थान, सिंगोद खुर्द जयपुर कार्यालय पता-सीताराम मंदिर गाम पोस्ट सिंगोद खुर्द, तहसील चौमू, जयपुर ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 22.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 52/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री ढाका राम सापकोटा पुत्र श्री मकरे सापकोटा निवासी एस-2, कृष्णा रेजिडेन्सी सैकण्ड कालवाड रोड माथुरफार्म हाउस, झोटवाडा, जयपुर-302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत योगीपीस संस्थान कार्यालय पता एस-2, कृष्णा रेजिडेन्सी द्वितीय कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर 302012 ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 24.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 49/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री विनोद चौहान पुत्र श्री मोहन लाल चौहान निवासी ए-143 गणेश विहार कॉलोनी, मुकुन्दपुरा रोड भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत ओम नेचुरोपैथी एण्ड आयुवेदिक रिसर्च सेन्टर कार्यालय पताए-143 गणेश विहार कॉलोनी, मुकन्दपुरा रोड, भांकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर 302026 के सम्बन्ध मे जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 24.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 43/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री शिशुपालशर्मा निवासी प्लॉट नं. 176/68 सेक्टर 11, कुम्भा मार्ग, जे.वी.पी. विद्यालय के पास, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर 302033 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत श्री रामाकृष्णा फाउण्डेशन ट्रस्ट कार्यालय पता-श्री रामाकृष्णा हॉस्पिटल, बी-13, कृष्णा नगर प्रथम, कैलाश टॉवर के पास, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर 302015 ने राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, मैं हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 22.04.2025
मोहर अदालत — सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज क्रम-1
जयपुर महानगर - द्वितीय जयपुर
ओकारमल अग्रवाल बनाम सिराज व अन्य
वाद बाबत दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं 25 सन् 2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरार पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19 जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
ने आपके विरूद्ध ...के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 03 सन् 2025 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या आपको यह निर्देश दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 11 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कम-01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज कम-1
जयपुर महानगर - द्वितीय जयपुर
बजरंग लाल बनामसिराज वअन्य
वाद बाबत दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं 27 सन् 2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरारपुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
ने आपके विरूद्ध ...के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 03 सन् 2025 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या आपको यह निर्देश दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 11 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टत्रेट कम-01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्या 4
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज क्रम 1
जयपुर महानगर-द्वितीय, जयपुर
ओकारमल अग्रवाल बनाम सिराज व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र...
प्रार्थना पत्र संख्या 11/2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19 जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरार पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
उक्त..ने इस न्यायालय मे आवेदन किया है कि..
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप इस आवेदन के विरूद हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 7 माह 3 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वाह मे स्वयंया अपने लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप मे अनुदेश किया गया हो। यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सूचनाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप सेकिया जाएगा।
यह आज 11 माह 2 सन 25 कोमेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुदा लगाकर दी गई।
दिनांक-11.02.2025
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण पारूप)
व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्या 4
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज क्रम 1
जयपुर महानगर-द्वितीय, जयपुर
बजरंगलाल बनाम सिराज व अन्य
वाद/पार्थना पत्र...
प्रार्थना पत्र संख्या 13/2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरार पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
उक्त ...ने इस न्यायालय मे आवेदन किया है कि...
अत आपको चेतावनी दी जाती है कि आप इस आवेदन के विरूद हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 7 माह 3 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वाह मे स्वयंया अपने लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप मे अनुदेश किया गया हो। यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सूचनाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप सेकिया जाएगा।
यह आज 11 माह 2 सन 25 कोमेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय कीमुदा लगाकर दी गई।
दिनांक-11.02.2025
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्या 4
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज क्रम 1
जयपुर महानगर-द्वितीय, जयपुर
दामोदर अग्रवाल बनाम सिराज व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र...
प्रार्थना पत्र संख्या 9/2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरार पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
उक्त ...ने इस न्यायालय मे आवेदन किया है कि...
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप इस आवेदन के विरूद हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 7 माह 3 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वाह मे स्वयं या अपने लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप मे अनुदेश किया गया हो। यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सूचवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप सेकिया जाएगा।
यह आज 11 माह 2 सन 25 कोमेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
दिनांक-11.02.2025
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज कम-1
जयपुर महानगर - द्वितीय जयपुर
बजरंग लाल बनाम सिराज व अन्य
वाद बाबत दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं 24 सन् 2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरारपुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
ने आपके विरूद्ध ...के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 03 सन् 2025 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या आपको यह निर्देश दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 11 माह 02 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट कम-01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज कम-1
जयपुर महानगर - द्वितीय जयपुर
दामोदर अग्रवाल अग्रवाल बनाम सिराज व अन्य
वाद बाबत दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
वाद सं 23 सन् 2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरारपुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
ने आपके विरूद्ध ...के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 07 माह 03 सन् 2025 को दिन में 10.30 बजे दावे का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सकें या आपको यह निर्देश दिया जाता हैं कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हैं। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसे दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता हैं कि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह आज दिनांक 11 माह 02 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्टेट क्रम-01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण पारूप)
व्यवहार प्रकिया संहिता पहली अनुसूची संख्या 4
न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं अपर सिविल जज क्रम 1
जयपुर महानगर-द्वितीय, जयपुर
बजरंगलाल बनाम सिराज व अन्य
वाद/प्रार्थना पत्र...
पार्थना पत्र संख्या 10/2024
1. सिराज पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
2. इमामुदीन पुत्र स्वगीय श्री मोहम्मद इस्माईल निवासी प्लॉट नम्बर 19 जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वाले के सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
3. इसरार पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
4. शहादत पुत्र अनवर निवासी प्लॉट नम्बर 19जे.पी. कॉलोनी लंकापुरी अकबर साईकिल वालेके सामने शिवमंदिर के पास जयपुर।
उक्त ...ने इस न्यायालय मे आवेदन किया है कि...
अत आपको चेतावनी दी जाती है कि आप इस आवेदन के विरूद हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 7 माह 3 सन् 2025 को 10.30 ए.एम. पूर्वान्ह मे स्वयं या अपने लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप मे अनुदेश किया गया हो। यदि आप ऐसा करने मे असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सूचनाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप सेकिया जाएगा।
यह आज 11 माह 2 सन 25 कोमेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुदा लगाकर दी गई।
दिनांक-11.02.2025
अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 01
मोहर — जयपुर महानगर द्वितीय